न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
..9/21	एफएसएस एक्ट, 2006	29/03/2021

...चन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

...पू कुमार सैनी पुत्र श्री छोटेलाल सैनी, उम्र लगभग 39 वर्ष जाति माली (एबीओ व मालिक)–फर्म–पप्पू माला ...ण्डार, वाटर वर्क्स के सामने, भगवती कॉलेज के पास, मिर्जापुर गंगापुर सिटी निवासी वाटर वर्क्स के सामने ...गवती कॉलेज के पास , मिर्जापुर गंगापुर सिटी ।

–अभियुक्तगण

...र्द अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक– 12.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (...वेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के ...नुसार आवेदक दिनांक 02.12.2020 को लगभग 12:30 पी.एम. पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फर्म पप्पू ...ला भण्डार गंगापुर सिटी पर श्री जितेन्द्र सचदेवा, बाट माप निरीक्षक, कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई ...धोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुँचा। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम पप्पू कुमार सैनी पुत्र ...री छोटेलाल सैनी बताया तथा स्वयं को डेयरी का मालिक होना बताया। पप्पू कुमार सैनी अपनी डेयरी पर ...ध,मावा,पनीर,घी आदि खाद्य सामग्री आम जनता पर डेयरी पर बाजार में विक्रय कराता है। उक्त दुकान/डेयरी ...े विक्रय परिसर मे एक एल्यूनियम के भगोने मे आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु मिश्रित दूध (खुला) लगभग ...0 लीटर रखा हुआ था का निरीक्षण करने पर उस पर मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता पप्पू ...ुमार सैनी से उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने को कहा तथा विक्रेता ...को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये ।

आवेदक द्वारा एल्युमिनियम के भगोने में रखे हुए खाद्य पदार्थ पदार्थ मिश्रित दूध (खुला) को अच्छी तरह ...िला मिला कर उसमें से 2 लीटर मिश्रित दूध (खुला) शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् खरिदा जिसकी ...कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 96/–रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का ...म्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सिल बन्द किया गया था उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक ...सील बन्द शिशि एक आउटर कवर में लेपटकर सिल मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6 की दो प्रतियाँ एक ...लिफाफे में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द शिशि व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा श्री गजानन्द ...लोधा वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 03.12.2020 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो शीशी भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/2193 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2316/एक्ट/2020/2190 दिनांक 15.12.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा बासो नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (खुला) अवमानक प्रकृति का पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)का उल्लघंन है। जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2316/एक्ट/2020/2190 दिनांक 15.12.2020 खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को द्वारे सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण दिनांक 25.10.2023 को स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ। अभियुक्तगण को बार–बार जबाब हेतु अवसर दिये जाने पर भी जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर अभियुक्तगण का जबाब बन्द किया गया। अभियुक्तगण दौराने बहस उपस्थित नहीं होने पर अभियोजन अधिकारी की एकतरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2316/एक्ट/2020/190 दिनांक 15.12.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है, आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला मे जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 को 20,000 (बीस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...12.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी